

**बिहार सरकार**  
**कृषि विभाग**

पत्रांक-3 बजट/उपयोगिता प्रमाण पत्र वि0-16/2014 ९२८ कृ० पटना, दिनांक १८/२/2015  
प्रेषक :

धनन्जयपति त्रिपाठी,  
निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना।

सेवा में :

जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)

विषय : बीज ग्राम योजना वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 18.02.2015 की राज्यस्तरीय बैठक में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा के दौरान निम्नांकित त्रुटिया पाया गया है :—

- वर्ष 2009-10 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक स्वीकृत्यादेश का अलग-अलग तैयार कर नहीं भेजा गया है।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र में दिखायी जा रही अवशेष राशि या तो प्रत्यार्पित की गयी है या चालान से कोषागार में जमा किया गया है, उसका पत्रांक एवं दिनांक का उल्लेख किया जा रहा है, परन्तु उसका साक्ष्य अभिप्रमाणित कर संलग्न नहीं किया गया है।
- वर्ष 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नये प्रपत्र में नहीं भेजा जाना है।
- हस्ताक्षर के साथ मुहर नहीं लगा है।
- प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अलग-अलग अग्रसारण पत्र नहीं है।

आप सभी अवगत हैं कि मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ए०सी०डी०सी० की प्रगति समीक्षा होती है, जिसमें प्रधान सचिव, कृषि को भाग लेना। प्रगति नहीं होने कारण मुख्य सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 का तैयार करने हेतु निम्न निर्देश दिए जा रहे हैं :—

- वर्ष 2009-10 का प्रत्येक स्वीकृत्यादेश का उपयोगिता प्रमाण पत्र अलग-अलग पुराने प्रपत्र में तैयार कर भेजा जाय।
- वर्ष 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण पत्र नये विहित प्रपत्र में भेजा जाय।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवशेष राशि यदि प्रत्यर्पित की गई है, या चालान से कोषागार में जमा की गई है, उक्त पत्र/चालान की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर संलग्न किया जाय।
- हस्ताक्षर के साथ मुहर भी लगाया जाय।
- प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण पत्र का अलग-अलग अग्रसारण पत्र से भेजा जाय।

आपके अधीनस्थ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को इस योजना का वर्ष 2009-10 का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है। अपने स्तर से अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को भी अवगत कराते हुए, उनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

अतः उपरोक्त के आलोक में वर्ष 2010-10 एवं 2011-12 का बीज ग्राम का उपयोगिता प्रमाण पत्र का निश्चित रूप से राज्यस्तरीय बैठक में अधोहस्ताक्षरी/प्रभारी, बजट पदाधिकारी को दिनांक 18.02.2015 को आयोजित बैठक में उपलब्ध कराये।

विश्वासभाजन,

Prabhati

16/2/15

(धनन्जयपति त्रिपाठी)

निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना।

/दिनांक..... 16/2/2015

ज्ञापांक..... 928

प्रतिलिपि:- सभी संयुक्त निदेशक(शाष्ट्र) / सभी जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... 928

/दिनांक..... 16/2/2015

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना।